प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीपी पेश कर निवेदन किया कि अनवानी प्रकरण जसवन्त सिंह बनाम सरकार धारा 144 सपीसी में निर्णय दिनांक 26.09.2017 को पारित कर दिया गया था। आदेश पारित करते समय निर्णय में सहवन भूल से हरपालसिंह, नौनिहाल सिंह, दर्शन सिंह पिसरान जसवन्त सिह जाति जटसिख अंकित किया जाना था लेकिन उसमें पिता का नाम जसवन्त सिह जाति जटसिख सिंह की जगह चरण सिह जाति कम्बोजसिंख लिखा गया है। न्यायहित में उक्त निर्णय के अनवान में पिता चरण सिंह जाति कम्बोजसिंख की जसवन्त सिंह जाति जटसिख अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अनवानी प्रकरण जसवन्त सिंह बनाम सरकार धारा 144 सपीसी में निर्णय दिनांक 26.09.2017 में प्रार्थीगण के पिता का नाम जसवन्त सिंह जाति जटसिख अंकित है जबकि निर्णय में सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम चरण सिंह जाति कम्बोजसिंख अंकित हो गया है। अतः अनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता के पिता का नाम चरणसिंह जाति कम्बोजसिंख के स्थान पर जसवन्त सिंह जाति जटसिख पढा जावें।

आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/10/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official